म.प्र. विद्युत नियामक आयोग, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14th अक्टूबर, 2008

क्रमांक 2323/MPERC-2008 मप्रविनियआ–2008 – विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 (2) (जेडई) सहपठित धारा 62(2) तथा 128(8) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा दिनांक 30 अप्रैल, 2004 को प्रकाशित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (अनुज्ञप्तिधारियों तथा उत्पादन कम्पनियों के कार्य–निष्पादन अनुवीक्षण), विनियम 2004 में निम्न संशोधन करता है :

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (अनुज्ञप्तिधारियों तथा उत्पादन कम्पनियों के कार्य–निष्पादन अनुवीक्षण) विनियम, 2004 में प्रथम संशोधन

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ :

(i) ये विनियम **मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (अनुज्ञप्तिधारियों तथा उत्पादन कम्पनियों के कार्य–निष्पादन अनुवीक्षण) विनियम, 2004 (प्रथम संशोधन) [क्रमांक एजी–2 (i)]** कहलायेंगे ।

(ii) ये विनियम मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन तिथि से प्रभावशील होंगे ।

(iii) ये विनियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में लागू होंगे तथा समस्त वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के संबंध में इनका क्षेत्राधिकार उनके विद्युत प्रदाय क्षेत्र के समवर्ती होगा ।

2. अध्याय–3 में संशोधन :

मप्रविनिआ (अनुज्ञप्तिधारियों तथा उत्पादन कम्पनियों के कार्य निष्पादन अनुवीक्षण) विनियम, 2004 के अध्याय 3 में, विनियम 3.1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावेगा, अर्थात् :

''3.1 मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल, इसकी उत्तराधिकारी इकाईयां तथा अन्य विद्युत उपक्रमों के द्वारा आयोग में सूचना/जानकारियां संलग्न पुनरीक्षित प्ररूपों में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है ।''

आयोग के आदेशानुसार

(अशोक शर्मा)
आयोग सचिव